न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः—24 / 2025

तारीख दायर—28.05.2025

तारीख—निर्णय—27.02.2026

1. श्री राया पिता नाथू सिह मीणा निवासी महुडिया वेली ग्राम पंचायत मानपुरा जांगीर, तहसील छोडीसादडी, जिला प्रतापगढ (राज.)
2. श्री गैहरीलाल पिता नाथूसिह मीणा निवासी मानपुरा अमीरामा, तहसील छोडीसादडी, जिला प्रतापगढ (राज.)

........प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........अप्रार्थी

उपस्थित—प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री प्रेम सिह मोरावत

अप्रार्थी की ओर से—श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

—: :निर्णय : :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा खोखरिया, पटवार हल्का भरेव भू.अ.निरीक्षक वृत्त लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 12 व पुराना 12 में वर्णित आराजी संख्या 22 रकबा 0.5940 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 23 रकबा 0.6912 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 9 / 15 रकबा 0.3996 हैक्टेयर, प्रार्थी व अन्य खातेदार की संयुक्त भूमि है उक्त आराजीयात में प्रार्थीगणों का पटवारी द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में 1/2 दर्ज होकर अशुद्ध नाम गेरीसिंह पुत्र नाथूसिंह, रामसिह पिता नाथूसिह मीणा दर्ज कर लिया था। जबकी प्रार्थी का नाम राया पिता नाथूसिह, गेरीसिंह पिता नाथूसिह है जिससे हम प्रार्थीगणों को भूमि समतलीकरण , ऋणभार , तथा सरकार की अन्य योजना के लाभ से वंचित है जबकी हम प्रार्थीयों के समस्त दस्तावेजों में जैसें राशन कार्ड, पैन कार्ड, ई—श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड,जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम सही व वास्तविक नाम पता राया पिता नाथूसिह मीणा निवासी महुडिया वेली ग्राम पंचायत मानपुरा जांगीर, तहसील छोटी सादडी,जिला प्रतापगढ, गेहरीलाल पिता नाथूसिह मीणा निवासी मानपुरा अमीरामा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तोडगढ है नामान्तरण खोलते समय सही जॉच नही की व न ही दस्तावेजों से नामान्तरण खोला गया जो एक लिपीकीय त्रुटी है जिसको प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। वाद ग्रस्त आराजी मौजा खोखरिया, पटवार हल्का भरेव भू.अ.निरीक्षक वृत्त लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)में स्थित होकर आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निवेदन किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे ।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम खोखरीया पटवार हल्का भरेव भू.अ.निरीक्षक लसाडिया तहसील लसाडिया के मौजा

खोखरीया पटवार हल्का भरेव भू.अ.निरीक्षक वृत्त लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 12 व पुराना 12 में वर्णित आराजी संख्या 22 रकबा 0.5940 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 23 रकबा 0.6912 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 9/15 रकबा 0.3996 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थी व अन्य खातेदारों की संयुक्त भूमि में प्रार्थी श्री गेरीसिह, रामसिह पुत्र नाथूसिह मीणा के नाम से दर्ज है। अतः भू–अभिलेख निरीक्षक लसाडिया, पटवारी हल्का भरेव एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर खाता संख्या नया 12 व पुराना 12 में वर्णित आराजीयात खातेदार का नाम श्री रामसिह पुत्र नाथूसिह मीणा के बजाय श्री राया पुत्र नाथूसिह मीणा किया जाना उचित है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

:–आदेश:–

तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार का नाम श्री रामसिह पिता नाथूसिह मीणा के बजाय श्री राया पिता नाथूसिह मीणा किया जाना जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)